REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

उमरिया जिले के अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका

डॉ. राजू रैदास[1], डॉ. चन्द्रकला आरमोती[2]
[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .
[2]सहा0प्राध्यापक वाणिज्य , रानी दुर्गावती शा.स्नातोत्तर महा.वि.मण्डला .

प्रस्तावना एवं शोध सारांश :–

उमरिया जिला समुद्र सतह से 489 मीटर ऊॅचाई पर तथा 23°–31'–37'' उत्तरी अक्षाशं 80°–50'–10'' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। उमरिया जिले के उत्तर में सतना, उत्तर पश्चिम में कटनी, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, पश्चिम दक्षिण में जबलपुर, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, दक्षिण में डिड़ौरी जिलों से घिरा हुआ है।

भारत के मानचित्र पर उमरिया जिले का नामकरण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, स्वाधीनता के उपरान्त देशी राज्यों के विलीनीकरण प्रक्रिया में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की छोटी – बड़ी 36 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का गठन किया गया, जुलाई 1998 में करकेली, पाली एवं मानपुर तहसीलों को मिलाकर यह जिला बना। 1 नवम्बर 1956 को महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के 43 हिन्दी भाषी जिलों को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य बनाया गया।

उमरिया जिला उत्तर से दक्षिण लगभग 115 किलोमीटर लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम लगलग 95 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया जिले को पूर्व में 3 तहसीलों में विभक्त किया गया था। मानपुर, बॉधवगढ़ एवं पाली तथा बाद में चौथी तहसील के रूप में चंदिया, नौरोजाबाद को दर्जा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 5 तहसीलों एवं 03 विकासखण्ड है। तहसीलों का क्षेत्रफल क्रमशः मानपुर 1952, करकेली 1678 एवं पाली 873 किलोमीटर है।

कृषि विकास हमारे समस्त विकासात्मक कार्यों का आधार है, कृषि विकास के अभाव में हमारा आर्थिक विकास अधूरा ही रहेगा। गत कुछ वर्षो में भारतीय कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। देश में अभी तक कृषि भारतीय कृषकों की आजीविका का साधन मात्र थी, परन्तु अब कृषि की अवधारणा में शनैःशनैः परिवर्तन हो रहा है। केवल आजीवका के स्थान पर अब कृषि लाभदायक उद्योगों का स्वरूप ग्रहण कर रही है।

कृषि पूर्ण रूप से जीवन यापन के लिए ही की जाती थी, किन्तु कृषक अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नगद धन अपने पास रखने की इच्छा रखता था। इसी कारण फसल के कुछ भाग का विक्रय कर लेता था। इसके अतिरिक्त लगान का भुगतान करने के लिए कृषकों की अपनी फसल का विक्रय करना पड़ता था। शहरों के विकास और जनसंख्या की वृद्धि के साथ–साथ खाद्यानों के विपणन के

महत्व में भी वृद्धि होती गई। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि संबंधों में परिवर्तन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में अमीर कृषकों के एक वर्ग का उदय हुआ है। यह वर्ग वाणिज्यिक पद्धतियों से फसलों का उत्पादन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ के लिए कृषि करना है। यह वर्ष प्राचीन विपणन व्यवस्था से असंतुष्ट है और उसमें सुधार की आशा करता है। कृषि उद्योग में बढ़ते हुए वाणिज्यिकरण के साथ–साथ विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं का उचित प्रकार से विपणन कृषकों के हित में है इसमें कृषि विकास में भी अनुकूल

प्रभाव पड़ेगा।

कृषि वस्तुओं की विपणन व्यवस्था में मण्डियों में व्यापारियों के एकाधिकार के कारण अनेक प्रकार से उत्पादक कृषकों को हानि उठानी पड़ती थी। विपणन में प्रतिस्पर्धा के अभाव अनेक प्रकार की विपणन लगान की कटौतियाँ, विपणन की कुरीतियों आदि के कारण उत्पादन कृषकों को अपने कृषि उत्पादन के विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। इन सबका लाभ मध्यस्थ वर्ग उठाता था। इसका प्रमुख कारण मण्डियों पर किसी प्रकार के नियंत्रण का पूर्णरूपेण अभाव होना था। मण्डियों का संचालन व्यापारियों द्वारा अपने हितों की सर्वोपरि रक्षा हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार होता था। भारत में कृषि विपणन से कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। देश में मण्डियों में प्रचलित दोषों का निवारण करने, मध्यस्थों का उन्मूलन करने तथा कृषकों की सुदृढ़ संगठन निर्माण करने में लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को एकत्रित करके कम व्यय और अच्छे मूल्य पर विक्रय का प्रयास करती है।

उमरिया जिले के अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन का महत्वपूर्ण उद्देश्य :–

उमरिया जिले के सहकारी विपण समितियों द्वारा कृषि विकास कार्यो का मूल्यांकन करना अध्ययन का महत्वपूर्ण उद्देश्य लें

उमरिया जिले के अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन की शोध विधि :–

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग उमरिया जिले के कृषि एवं सहकारी विपण समितियों में किया गया है।

उमरिया जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन अतिमहत्वपूर्ण है। कृषकों की दशा में, तब तक सुधान नही हो सकता है, जब तक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ–साथ उसका विकृय करने के उचित संसाधन उपलब्ध न हों। यदि कृषि वस्तुओं का बाजार सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित है तो कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो जायेगा। जिससे कृषक के आर्थिक दशा में सुधान होने की संभावना में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी तथा इसके साथ–साथ उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जायेगी।

उमरिया जिले की सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्रायः उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादन के सम्मलित विक्रय के लिए किये गये प्रयत्न तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्मलित क्रय करने के प्रयत्नों से है। वास्तव में क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, सुसंगटित सहकारिता के आधार पर विपणन कार्य को सम्पन्न करना ही सहकारी विपणन है। वर्तमान समय में उमरिया जिले में कृषि उत्पादों के विपणन की निम्न पद्धतियॉ अपनाई जाती है :–

1. उमरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं सहकारी विपणन की बिक्री।
2. उमरिया जिले के मेंलों में कृषि एवं सहकारी विपणन की बिक्री।
3. उमरिया जिले के मण्डियों में कृषि एवं सहकारी विपणन की बिक्री।
4. उमरिया जिले के कृषि सहकारी साख समितियों द्वारा विक्री।

उमरिया जिले के कृषि सहकारी विपणन समितियों के महत्वपूर्ण उद्देश्य :–

1. उमरिया जिले के कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. उमरिया जिले के कृषकोंकी सौदा करने की शक्ति में वृद्धि करना।
3. उमरिया जिले के कृषकों में अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर कृषकों के लाभ में वृद्धि करना।
4. उमरिया जिले के कृषकों को अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. उमरिया जिले के कृषकों कों कृषि संसाधन जैसे :– खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयॉ आदि के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।
6. उत्पादक वस्तुओं के मूल्य में स्थायीत्व लाना।

उमरिया जिले के कृषि सहकारी विपणन के अभाव में मध्यस्थ एक ओर कृषकों को उपज का उचित मूल्य नही देते तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं से ऊँचे मूल्य वसूलकर उनका शोषण करते

है। मध्यस्थों के लाभ के कारण वस्तुएँ महगी हो जाती है। इस प्रकार उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सहकारी विपणन आवश्यक है।

उमरिया जिले में कृषि सहकारी विपणन समितियॉ ही सर्वाधिक उपयुक्त है। सहकारी विपणन से जहॉ कृषकों को लाभ प्राप्त होगा, वही मध्यस्थों की समाप्ति के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की भी सस्ती व अच्छी वस्तुएँ प्राप्त हो सकेगी। उमरिया जिले में कृषि वस्तुओं का मूल्य सामान्य मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। सहकारी विपणन द्वारा कृषि वस्तुओं के बढतें हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। जिससे सामान्य मूल्य स्तर भी नियंत्रित रहता है। मध्यस्थों द्वारा माल बेचने पर ये कृतिम रूप से मल्यों में वृद्धि कर उपभोक्ताओं का शोषण करते है। इस प्रकार मूल्यों में स्थायित्व की प्रवृति रहेंगी। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इतने अधिक है कि यह कृषि उत्पादन के विक्रय का सर्वाधिक संतोषजनक विकल्प प्रतीत होता है। कृषि सहकारी विपणन समितियॉ उमरिया जिले के कृषकों को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराती है :–

1. कृषि विपणन की कमियों को दूर करना।
2. सस्ती सुविधाएँ उपलब्ध करना।
3. कृषि साख व्यवस्था का विस्तार करना।
4. मूल्य स्थायित्व करना।
5. सदस्यों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।

उमरिया जिले के अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन के विकास में समस्याएँ :–

यद्यपि साख को विपणन से संबद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किये गये है और इसमें व्यापक सफलता प्राप्त हुई है। इसके बावजूद भी कृषि साख समितियों को अपने ऋण वसूल करने में कटिनाईयों का सामना करना पडता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऋण लेते समय सदस्य विपणन समितियों के माध्यम से अपने उत्पादन के विक्रय करने का समझौता कर लेते है लेकिन उत्पादन विक्रय करते समय इसका पालन नही करते। इस समझौतें को लागू न कर पाने के निम्न कारण है :–

1. उपज को संग्रह करने की प्रभावी व्यवस्था का अभाव।
2. उत्पादक ऋण की अपर्याप्तता।
3. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपेक्षा।
4. कृषि साख सुविधाओं का अभाव
5. ऋण प्रदान करने की नीति में परिवर्तन न करना।

उमरिया जिले के अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था की प्रगति हेतु सुझाव :–

सहकारी विपणन के महत्व को कम नही ऑका जा सकता। सरकार ने विभिन्न योजनाओं में कृषि सहकारी विपणन के महत्व को स्वीकार किया है :–

1. कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा वित्त प्रदान करना।
2. कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था हेतु ऋण प्राप्ति को सरल बनाना।
3. कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था हेतु कृषि साख व्यवस्था को विपणन से जोडना।
4. कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था हेतु सहकारी अधिनियम में सशोधन करना।
5. बैंकों का सहयोग।
6. कृषि एवं सहकारी विपणन व्यवस्था हेतु क्षेत्र का व्यापारिक आधार पर निर्धारण।
7. साख को विपणन से जोडने की योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषकों को उत्पादन एवं उपभोग कार्यो के लिए उचित समय पर पर्याप्त साख प्रदान की जाये।
8. कृषकों के साथ यह अनुबंध किया जाए की वे अपनी उपज सहकारी विपणन समिति के माध्यम से ही बेचेगें।
9. अनुबंध पालन करने के लिए सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे सदस्य अनुबंध का पालन करने के लिए बाद्ध हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. सहकारिता के सिद्धान्त – डॉ0वी0पी0गुप्ता
2. भारत में सहकारिता योजना – डॉ0बी0एस0माथूर
3. www.google.com/wikipedia.com

डॉ. राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

डॉ. चन्द्रकला आरमोती
सहा. प्राध्यापक वाणिज्य , रानी दुर्गावती शा.स्नातोत्तर महा.वि.मण्डला .